न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 13/2019 **दायर दिनांकः 09/01/2019**

उनवान

1. राधिका आयु 33 वर्ष बेवा रामप्रसाद जाति मेहर
2. प्रियांशु आयु 15 वर्ष नाबालिग पुत्र रामप्रसाद
3. कृष्णा आयु 11 वर्ष नाबालिग पुत्री रामप्रसाद नाबालिगान जर्ये वली माता एवं संरक्षक राधिका बेवा रामप्रसाद जाति मेहर
4. बृजमोहन आयु 34 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति मेहर निवासी चरडाना तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

प्रतिवादी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट</u>
<u>एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट</u>

उपस्थिति :—

वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 27/02/2020

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट. सपठीत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार वाके ग्राम एवं माल अरडाना तहसील अटरू जिला बारां की खाता सं0 96 की आराजी ख0नं0 276 रकबा 0. 47 है0 वादीगण क्रम 1 के पति व 2, 3 के पिता रामप्रसाद एवं बृजमोहन पुत्रगण श्री प्रभूलाल के शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। जिनमें उनका हिस्सा 1/2 दर्ज खाता है। जिसमें जमाबन्दी में सहवन से वादी क्रम 1 के पति व 2, 3 के पिता का नाम हेमराज व वादी क्रम 4 का नाम बृजराज पुत्रगण प्रभूलाल दर्ज हो गया है। नकल जमाबन्दी वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। इसी प्रकार नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार वाके ग्राम एवं माल चरडाना तहसील अटरू में खाता संख्या 183 का ख0नं0 582 रकबा 0.17 है0 आराजी वादी क्रम के पति व 2, 3 के पिता रामप्रसाद व वादी क्रम 4 बृजमोहन पुत्रगण प्रभू के खाते दर्ज चली आ रही है। जो शामलाती खाते दर्ज है। जिसमें वादीगण क्रम 1 के पति व 2, 3 के पिता का

नाम रामप्रसाद व वादी क्रम 4 का नाम बृजमोहन सही दर्ज है। नकल जमाबन्दी वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की खाता संख्या 96 की ख0नं0 276 की 0.47 है0 आराजी में जमाबन्दी बदलते समय सहवन से वादी क्रम 1 के पति व 2, 3 पिता का नाम रामप्रसाद के स्थान पर हेमराज पुत्र प्रभूलाल व वादी क्रम 4 का नाम बृजमोहन पुत्र प्रभूलाल के स्थान पर बृजराज पुत्र प्रभूलाल दर्ज हो गया है जो कि गलत है। जिसकी जानकारी वादीगण द्वारा दिनांक 18.12.2018 को जमाबन्दी नकल प्राप्त करने पर हुई। वादीगण को जानकारी होने पर वादीगण ने प्रतिवादी से निवेदन किया कि हमारे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजात में एवं नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 76 में सही नाम रामप्रसाद एवं बृजमोहन पुत्र गण प्रभू ही है। हम वादी क्रम 1 के पति व 2, 3 के पिता रामप्रसाद पुत्र प्रभू एवं वादी क्रम 4 के पिता बृजमोहन पुत्र प्रभू ही है। वादी क्रम 1 के पति व 2 एवं 3 के पिता रामप्रसाद जी का स्वर्गवास हो चुका है। और नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 की खाता संख्या 96 का ख0नं0 276 की 0.47 है0 में उनका नाम सहवन से रामप्रसाद के स्थान पर हेमराज एवं वादी क्रम 4 का नाम बृजमोहन के स्थान पर बृजराज पुत्र प्रभूलाल दर्ज हो गया है जिसे रिकार्ड में दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर वादी क्रम 1 के पति व 2, 3 के पिता का नाम रामप्रसाद पुत्र प्रभूलाल व वादी क्रम 4 का नाम बृजराज के स्थान पर बृजमोहन पुत्र प्रभूलाल दर्ज किया जावें। लेकिन प्रतिवादी ने समस्त दस्तावेज का अवलोकन करने के बाद माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत दी। इस वजह से यह वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वाद कारण दिनांक 19.12.2018 को जमीन की नकल प्राप्त करने पर जानकारी होने पर व प्रतिवादी के पास जाकर गलत नाम को दुरूस्त करने का निवेदन करने पर व उनके द्वारा माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत देने पर बमुकाम माननीय न्यायालय के सीमाक्षैत्र में उत्पन्न हुआ। विवाद ग्रस्त आराजी ग्राम एवं माल अरडाना तहसील अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमाई जावें किः–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादी क्रम 1 के पति व 2 व 3 के पिता हेमराज के स्थान पर रामप्रसाद पुत्र प्रभूलाल एवं वादी क्रम 4 का

नाम बृजराज के स्थान पर बृजमोहन पुत्र प्रभूलाल घोषित किया जाकर इसका अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये की गई, अवसर दिये जाने पर भी जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बंद किया गया। साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 व PW_2 के बयान लेखबद्ध किये, तथा रिकार्ड प्रदर्श अंकित किया। अभिभाषक वादीगण की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा कथन किया गया किया ग्राम माल अरडाना की खाता संख्या 96 में वादी कम 1 के प्रति व 2, 3 के पिता हेमराज के स्थान पर रामप्रसाद पुत्र प्रभूलाल एवं वादी कम 4 का नाम बृजराज के स्थान पर बृजमोहन पुत्र प्रभू लाल घोषित किया जाकर इसका अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र रामप्रसाद पुत्र प्रभूलाल दर्ज है। जो प्रदर्श 3A है, आधार कार्ड, रामप्रसाद परिचय पत्र बृजमोहन पुत्र प्रभूलाल, आधार कार्ड बृजमोहन पुत्र प्रभूलाल, ग्राम पंचायत चरडाना का प्रमाण पत्र प्रदर्श 8 में हेमराज व रामप्रसाद दोनो नाम रामप्रसाद के है, हेमराज घर का नाम है, व अन्य दस्तावेजों में रामप्रसाद दर्ज है, तथा बृजराज एवं बृजमोहन एक ही व्यक्ति के नाम है। अन्य दस्तावेजों में बृजमोहन दर्ज है। जमाबन्दी ग्राम चरडाना की खाता संख्या 183 किता 1 रकबा 0.17 है0, रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वाद न्यायहित में स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार योग्य है। विवादित आराजी ग्राम अरडाना की खाता संख्या 96 किता 1 रकबा 0.47 है0 में खातेदार हेमराज, बृजराज पुत्र प्रभूलाल के स्थान पर रामप्रसाद , बृजमोहन पुत्र प्रभूलाल, दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 13/2019

उनवान

1. राधिका आयु 33 वर्ष बेवा रामप्रसाद जाति मेहर
2. प्रियांशु आयु 15 वर्ष नाबालिग पुत्र रामप्रसाद
3. कृष्णा आयु 11 वर्ष नाबालिग पुत्री रामप्रसाद नाबालिगान जर्ये वली माता एवं संरक्षक राधिका बेवा रामप्रसाद जाति मेहर
4. बृजमोहन आयु 34 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति मेहर निवासी चरडाना तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0 टी0 एक्ट
एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X...............................

बहाजिर :–

वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम अरडाना की खाता संख्या 96 किता 1 रकबा 0.47 है0 में खातेदार हेमराज, बृजराज पुत्र प्रभूलाल के स्थान पर रामप्रसाद , बृजमोहन पुत्र प्रभूलाल, दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X......................... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 27.02.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.03.19 14:02:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: